HRA Sayette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 26] No. 26] नई दिल्ली, जून 23—जून 29, 2019, शनिवार/आषाढ़ 2— आषाढ़ 8, 1941

NEW DELHI, JUNE 23—JUNE 29, 2019, SATURDAY/ASADHA 2— ASADHA 8, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश , उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जून, 2019

सा.का.िन.186.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रयोगशाला सहायक, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर भर्ती नियम, 1976 को उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर में प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .— (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-I) भर्ती नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

To one of		· .
In case of recruitment by promotion or	i committee chiata,	Circumstances in
deputation/ absorption grade from which	what is its composition?	which Union Public
promotion or deputation/absorption to be		Services
made		Commission is to be
		consulted in making
		recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion:	(I) Group 'C' Departmental Promotion	
From amongst the Health Worker (Female)	Committee (for considering promotion)	11
or Auxiliary Nurse Midwife or	consisting of: —	
Multipurpose Worker (Female) working at		
Rural Health Training Centre, Najafgarh	5 C	
having five years service in level 4 in the	2. Nursing Advisor, Ministry of Health and	
pay matrix (Rs.25500-81100/-) and	Family Welfare. — Member;	Ì
possessing the requisite qualifications	3. Deputy Director concerned in Directorate	
required for direct recruits.	General Health Services. — Member.	
	(II) Group 'C' Departmental Promotion	
	Committee (for considering confirmation)	,
	consisting of: —	
†	1. Director, Rural Health Training Centre,	ł
ĺ	Najafgarh. — Chairman.	
	2. Nursing Advisor, Ministry of Health and	į
	Family Welfare. — Member	
	3. Deputy Director concerned in Directorate	İ
	General Health Services. — Member.	

[F. No. Z-22017/08/2007-PMS-MH-I]

M.K.SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 2019

सा.का.नि.189.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को जहां तक उनका संबंध तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई में तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्ह**ता वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने का अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में	चयन या	सीधे भर्ती किए जाने वाले
			स्तर या	अचयन	व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
	 		वेतनमान	पद	,,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीशियन	4* (2019)	साधारण केंद्रीय	वेतन मेट्रिक्स में	अचयन	18-25 वर्ष के बीच ।
1	*कार्यभार के	सेवा,	स्तर-4		
Ì	आधार पर	समूह 'ग',	(रु. 25500-		(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-
	परिवर्तन किया	अराजपत्रित	81100)		समय पर जारी किए गए
	जासकताहै।	अननुसचिवीय	01100)		अनुदशों या आदेशों के अनुसार
		413(114414			सरकारी सेवकों के लिए सामान्य
				:	अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष
				i	तक तथा अनुसूचित जाति और ∫
		Í			अनुसूचित जनजाति के
}			İ		अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष
					तक शिथिल की जा सकती है।)
			ĺ		टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित
]			1		करने के लिए निर्णायक तारीख़
]					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने
[के लिए नियत की गई अंतिम
1					तारीख़ होगी न कि वह अंतिम
					तारीख़ जो असम, मेघालय,
	ļ			İ	अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम,
				-	मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,

			सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7) आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं स्तर पास जिसके साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रशीतन और वातानुकूलन या यांत्रिक इंजीनियरी और विद्युत इंजीनियरी या विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी में डिप्लोमा हो। वांछनीय: औषधीय विनिर्माण उद्योग/वैकसीन का तीन वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण-1: अईताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	(8)	(9) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष	(10) प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने की दशा में सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती	TA	
की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित/	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी	भर्ती की किन
प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	वर्षपा	परिस्थितियों में संघ
		लोक सेवा आयोग से
(11)	(12)	परामर्श अपेक्षित
प्रोन्निति: वेतन मेट्रिक्स में स्तर-2 (रु.		(13)
19900-63200) में ऐसा मेकैनिक जिसने	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के	लागू नहीं होता
आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित	
टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के	होंगे:	
सबंध में, जिन्होंने अपनी अईक या पात्रता	(i) निदेशक, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला,	
सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए	चेन्नई —अध्यक्ष	
विचार किया जा रहा हो, वहां उनके	(ii) पशु चिकित्सक, बी.सी.जी. वैक्सीन	
ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार	प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई —सदस्य	
किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके	(iii) प्रशासनिक अधिकारी, बी.सी.जी. वैक्सीन	
द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा,		
अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से	प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई —सदस्य	
अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी	(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई	
कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे	राजपत्रित अधिकारी —सदस्य	
कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में	
अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर	विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:	
ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के	(i) निदेशक, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला,	
लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि	चेन्नई — अध्यक्ष	
सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	(ii) पशु चिकित्सक, बी.सी.जी. वैक्सीन	ĺ
टिप्पण 2: संशोधित नियम अधिसचित	प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई —सदस्य	
होने की तारीख़ को नियमित आधार पर	(iii) प्रशासनिक अधिकारी, बी.सी.जी. वैक्सीन	
पोषक पद धारण करने वाले व्यक्ति के		
लिए पात्र सेवा वही रहेंगी।	"	
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:	(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई	
	राजपत्रित अधिकारी —सदस्य	
(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग	·	
में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या		ļ
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग	·	
में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-2 (रु.		
19900-63200) में नियमित		
आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस		
श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो;		
और		
(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के		
लिए विहित किए गए शैक्षिक		
अर्हताएं एवं अनुभव रखता हो । टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय		
अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में	·	
नाज गरा, जा श्रामात का साधा पाक्त में		

हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिएँ विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

> [फा.सं. ए-12018/13/2017-ईपीआई] जी.के. पिल्लई, अवर सचिव

New Delhi, the 14th June, 2019

- G.S.R. 189.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Technician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technician in BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-
- Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Technician (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2019.
 - They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification, level in pay matrix or pay scale.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule. 4.
- Disqualification. -No person,
 - who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (a)
 - who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, (b) shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

- Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any
- Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this

SCHEDULE

Name of post	NII C		HEDULE		
	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or non - selection	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technician	4* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C' Non Gazetted, Non- Ministerial	Level -4 in the pay matrix. (Rs. 25500-81100)	Non-selection	Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government servants uptor forty years in the case of general candidates and forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits (7) Essential: 12 th pass standard from a	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees (8) Not applicable	Period of probation, if any (9) Two years for	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods (10) Promotion failing which by
recognised Board with diploma in Refrigeration and Air-conditioning or Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Electrical Engineering or Electrical and Electronics Engineering from a recognised Institute or University. Desirable: Three years experience of the Industry manufacturing of pharmaceuticals/ vaccines. Note1: Qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of		direct recruits	Promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment

candidates otherwise well qualified.	·	
Note2: The qualifications regarding		
experience is relaxable at the		
discretion of the Staff Selection		
Commission in the case of		
candidates belonging to the		
Scheduled Castes and the		
Scheduled Tribes, if at any stage of		
selection the Staff Selection	·	
Commission for reasons to be		
recorded in writing is of the opinion		
that sufficient number of candidates]	·
from these communities possessing		
the requisite experience are not		
likely to be available to fill up the	ĺ	
posts reserved for them.		

deputation and similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

[F. No. A-12018/13/2017-EPI] G. K. PILLAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 जून, 2019

सा.का.नि.190.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई में पशु पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई, पशु पर्यवेक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निर्हता.— वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।